नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात केआदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पूर्वी कोने ओर स्थित साइकिल स्टैण्ड एवं दक्षिणी–पश्चिमी कोने ओर स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों के नीलामी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु दिनांक–30.08.16 को समय 4.00 बजे दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त 1.साइकिल स्टैण्ड,2. जलपान गृह,3. स्टेशनरी शाप, 4.फोटोकापी शाप एवं 5. टाइपिंग शाप की स्थिति एव क्षेत्रफल का निरीक्षण कर नीलामी प्रकिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है–

नीलामी की शर्ते व नियम

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की नीलामी प्रकिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायाल कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
2. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी,फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी,फोटोकापी एवं टाईपिंग शाप की न्यूनतम बोली–
    1. **साइकिल स्टैण्ड:**– जिसकी बोली सायं 4.00 बजे न्यूनतम बोली रू0–6,75,785/– से ऊपर नजारत अनुभाग में की जायेगी।
    2. **जलपान गृह:**– जिसकी बोली सायं 4.30 बजे न्यूनतम बोली रू0–3,83,328/– से ऊपर नजारत अनुभाग में की जायेगी।
    3. **स्टेशनरी शाप:**– जिसकी बोली सायं 5.00 बजे न्यूनतम बोली रू0–1,16,160/– से ऊपर नजारत अनुभाग में की जायेगी।
    4. **फोटोकापी शाप:**– जिसकी बोली सायं 5.00 बजे न्यूनतम बोली रू0–2,12,960/– से ऊपर नजारत अनुभाग में की जायेगी।
    5. **टाईपिंग शाप:**– जिसकी बोली सायं 5.00 बजे न्यूनतम बोली रू0–1,01,640/– से ऊपर नजारत अनुभाग में की जायेगी।
4. उपरोक्त की बोली में सम्मिलित होने से पहले बोली की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।
5. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में नहीं होना चाहिए।
6. स्वीकृत के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा करनी होगी।
7. उच्चतम बोली के भागीदार बोली समाप्ति पर 1/4 बोली क धनराशि तुरन्त जमा करेंगे और शेष धनराशि दिनांक–31.03.16 तक जमा करेंगे।

8. स्वीकृत के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
9. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात द्वारा की जायेगी।
10. नीलामी बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात द्वारा की जा सकेगी।
11. उपरोक्त दुकान के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.17 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–16.08.16 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक–16.08.16

16/8/16

(कमलेश कुमार पाठक),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0,
कानपुर देहात।